



उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत्त, संवैधानिक / नियामक सरथा)

पत्रांक: ३७५/४-११ (२८-१)

दिनांक: १६-०३-२०१८

वैधानिक सूचना

जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा “जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014” के प्राविधानों के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर आर्थिक मदद करना।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा जैव संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग की पूर्वानुमति एवं अर्जित लाभांश को “जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014” के प्राविधानों तथा अधिनियम की धारा 07, 24, 53 के अनुपालन के कम में जैव विविधता नियम, 2004 के प्ररूप-१ व विनियम, 2014 के प्ररूप-‘क’ में ₹० 10000/- फीस (सचिव, उ०प्र० राज्य जैवविविधता बोर्ड के पक्ष में, लखनऊ में देय बैंक ड्राफ्ट) के साथ सचिव, उ०प्र० राज्य जैवविविधता बोर्ड को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से भेजा जाना अनिवार्य है। यह सूचना उ०प्र० राज्य जैवविविधता बोर्ड के ईमेल: upstatebiodiversityboard@gmail.com के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है। फीस की धनराशि बोर्ड के पंजाब नेशनल बैंक के ए.बी.एस. खाता (ABS) संख्या-6193000100016922 तथा IFSC Code-PUNB0619300 में आरटीजी. एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है, जिसका विवरण ईमेल में अंकित किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इसे उ०प्र० राज्य जैवविविधता बोर्ड की वेबसाईट: www.upsbdb.org ऑनलाईन सुविधा “Online Submission for Access and Benefit Sharing” लिंक के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कराकर जमा किया जा सकता है।

तत्पश्चात् अधिनियम, 2002 की धारा 53 तथा विनियम, 2014 के संख्या 2, 3, 4 आदि के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुबंध के माध्यम से लाभांश उ०प्र० राज्य जैवविविधता बोर्ड के द्वारा पारित आदेश के कम में बोर्ड के खाते में जमा करना होगा। इस लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैवविविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर उनकी आर्थिक मदद की जायेगी।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के अनुपालन हेतु मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ओ.ए. 347/2016 चन्द्रभाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य भी दाखिल है, जिसकी सुनवाई प्रचलित है।



उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित रवायत, संवैधानिक / नियामक संस्था)

"जैव संसाधन" (Biological Resource) : "जैव संसाधनों" से पौधे, जीव-जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, वास्तविक या सम्भावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नहीं हैं ;

"biological resources" means plants, animals and micro-organisms or parts thereof, their genetic material and by-products (excluding value added products) with actual or potential use or value, but does not include human genetic material;

"वाणिज्यिक उपयोग" (Commercial Utilization) : "वाणिज्यिक उपयोग" से वाणिज्य उपयोग के लिए जैसे आनुवंशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशुधन में सुधार करने के लिए प्रयुक्त औषधि, औद्योगिक किण्वक, खाद्य सुगंध, सुवास, प्रसाधन, पायसीकारक, तैलराल, रंग, सत्ता और जीन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों का अंतिम उपयोग अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत किसी कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाला पारंपरिक प्रजनन या परंपरागत पद्धतियां नहीं हैं ;

"commercial utilization" means end uses of biological resources for commercial utilization such as drugs, industrial enzymes, food flavours, fragrance, cosmetics, emulsifiers, oleoresins, colours, extracts and genes used for improving crops and livestock through genetic intervention, but does not include conventional breeding or traditional practices in use in any agriculture, horticulture, poultry, dairy farming, animal husbandry or bee keeping;

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के तहत शस्ति-

- धारा 53— इस धारा के अन्तर्गत बोर्ड के आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप अन्य विधिक कार्यवाही के साथ-साथ सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय भी किये जाने का प्राविधान है।
- धारा 55—धारा 7 का उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक कारावास अथवा पाँच लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों।
- धारा 56— जैव विविधता बोर्ड के निर्देश/आदेश का पालन नहीं करने पर ₹0 2 लाख तक प्रतिदिन के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है, जो कि उल्लंघन होने तक किया जा सकता है।
- धारा 57 (1) —किसी कंपनी/संस्थान के द्वारा उल्लंघन किये जाने पर कंपनी एवं उसके सभी संचालक/भारसाधक अधिकारी उल्लंघन के लिए दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार वे सभी उपर्युक्त अपराध के लिए दण्डित किये जा सकते हैं।
- विस्तृत जानकारी वेबसाईट <http://www.upsbdb.org/> पर उपलब्ध है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभी तक मै0 डाबर इण्डिया लिमिटेड, गाजियाबाद (उ0प्र0) द्वारा ₹0 11,97,000.00, मै0 एस. मो. अयूब मो. याकूब, कन्नौज, उ0प्र0 द्वारा ₹0 28,000.00 एवं मै0 द हिमालया झग कम्पनी, मकाली, बैंगलोर द्वारा ₹0 10,59,758.10 मात्र अन्तरिम रूप से लाभांश की अर्जित धनराशि जमा की गयी है।



उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत्त, संवैधानिक / नियामक संस्था)

इसी कम में मैं 0 श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन (प्रा०) लि०, झॉसी, उ०प्र० द्वारा वैधानिक नोटिस के कम में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में रु० 29,89,518.95 मात्र की धनराशि रजिस्ट्रार, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में जमा करा दी गई है।

- अन्य उद्योगों द्वारा इस अधिनियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
- अतः समस्त संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम/नियम/विनियम का अनुपालन इस प्रकाशन के 30 दिन के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये अन्यथा बाध्य होकर अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- लाभांश का ९५ प्रतिशत भाग जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रदेश के जन सामान्य से यह अनुरोध है कि आपकी जानकारी में कहीं जैव संसाधन आधारित उद्योग कार्यरत हों तो विवरण सहित इस कार्यालय को अवगत करायें। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।



(पवन कुमार)

सचिव,

उ०प्र० राज्य जैवविविधता बोर्ड, लखनऊ